सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
चैत्र 10, सोमवार शाके 1942- मार्च 30, 2020	
Chaitra 10, Monday , Saka 1942- March 30, 2020	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 27, 2020

No. F. 2(18)Vidhi/2/2020.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 26th day of March, 2020 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN COURT FEES AND SUITS VALUATION (AMENDMENT) ACT, 2020

(Act No. 11 of 2020)

(Received the assent of the Governor on the 26th day of March, 2020)

An

Act

further to amend the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 23 of 1961.- For the existing section 21 of the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961 (Act No. 23 of 1961), the following shall be substituted, namely:-

"**21. Suits for money or damages.-** In a suit for money (including a suit for damages or compensation, or arrears of maintenance, or annuities, or of other sums payable periodically), fee shall be computed on the amount claimed:

Provided that where the suit is for damages for defamation, the fee shall be computed on the amount claimed, subject to a maximum fee of rupees twenty five thousand:

Provided further that in an action or suit for damages under the Fatal Accidents Act, 1855 (Central Act No. 13 of 1855) a fixed fee of rupees ten shall be payable on the plaint or the memorandum of appeal.".

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2020

संख्या प.2(18)विधि/2/2020.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड सूट्स वेल्यूएशन (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2020 (एक्ट नं. 11 ऑफ 2020)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 11)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2020 को प्राप्त हुई)

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 21 का संशोधन.- राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 23) की विद्यमान धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**21. धन या नुकसानी के लिए वाद.**- धन के लिए किसी वाद में (नुकसानी या मुआवजे, या भरणपोषण या वार्षिकियों या नियतकाल पर संदेय अन्य राशियों की बकाया के लिए किसी वाद को सम्मिलित करते हुए) फीस दावाकृत रकम पर संगणित की जायेगी:

परन्तु जहां वाद मानहानि की नुकसानी के लिए है, वहां फीस, पच्चीस हजार रुपये की अधिकतम फीस के अध्यधीन रहते हुए, दावाकृत रकम पर संगणित की जायेगी:

परन्तु यह और कि घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 (1855 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 13) के अधीन नुकसानी के लिए किसी कार्रवाई या वाद में, वादपत्र या अपील के ज्ञापन पर दस रुपये की नियत फीस संदेय होगी।"।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।